



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केंद्रीय भवन, पंचम तल्ला, सेक्टर-११, अलीगंज, लखनऊ-२२६०२४
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.lko-mef@gov.in, goimcoefrolko@gmail.com

पत्र सं०-८बी/यू.पी./०६/४०/२०१७/एफ.सी./११९५

दिनांक: 27.01.2021
२८

सेवा में,

विशेष सचिव(वन),
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Others/13877/2015

विषय: कार्योपरांत स्वीकृति (Ex. Post facto) के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया मथुरा मार्ग (एस०एच०-८०) किमी० २६.३२० ग्राम बिसावली के खसरा सं०-५३७ में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किए जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ०.०७५०१२ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ०७ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-२६१२/८१-२-२०२०-८००(५८)/२०१६, दिनांक-११.०१.२०२१।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया संज्ञान लें, इस संबंध में मुझे आपको अवगत कराना है कि अपर जिलाधिकारी अलीगढ़ के पत्र दिनांक १२.११.२०२० द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक २८.०९.२०२० के परिपेक्ष्य में यह सूचित किया गया है कि प्रभागीय निदेशक सा०वा० प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक १४.१२.२०१५ में उल्लिखित किया गया है कि नोडल अधिकारी, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक २२.०८.२०१५ द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, उक्त पत्र की प्रतिलिपि कृपया इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। नोडल अधिकारी द्वारा निजी पेट्रोल कंपनियों को संपर्क मार्ग हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है (जैसा कि प्रभागीय निदेशक अलीगढ़ के पत्र दिनांक १४.१२.२०१५ द्वारा सूचित किया गया है) क्या राज्य सरकार उक्त स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम है? यदि हाँ तो राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को क्यों स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया है? यहाँ यह स्पष्ट करना है कि FCA Guideline के अनुरूप निजी पेट्रोल कंपनियों को स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार को कभी भी अधिकृत नहीं किया गया था। यह वन संरक्षण अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। कृपया दोषी अधिकारियों के विरुद्ध FCA के अंतर्गत कार्यवाई करने हेतु स्पष्ट अनुशंसा सहित रिपोर्ट प्रेषित करें।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रायः देखा जा रहा है कि अलीगढ़ वन प्रभाग से FCA उल्लंघन उपरान्त Ex Post approval हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जो कि कदाचित ठीक नहीं है। कृपया इसकी जाँच कराकर आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।
२. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
३. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़, उ०प्र०।
४. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
५. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-५, सं०-३, नोएडा।
६. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}